



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन की शुल्क वसूली के ठेके की शर्तें
वित्तीय वर्ष 2015-16

1.	निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए जयपुर शहर की चार दीवारी क्षेत्र को छोड़कर जोनवार 7 जोनों की पृथक-पृथक (हवामहल पश्चिम जोन को छोड़कर) विज्ञापन शुल्क वसूली खुली नीलामी के माध्यम से की जावेगी। नीलामी वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए होगी। वर्ष 2015-16 में नीलामी स्वीकृत हो जाती है तो उस स्थिति में नगर निगम द्वारा वसूली गई राशि का समायोजन वर्ष 2015-16 में संवेदक की बकाया 3/4 देय राशि में किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2015-2016 में विज्ञापन शुल्क वसूली नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन)(संशोधन) उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों व समय समय पर राज्य सरकार व नगर निगम जयपुर द्वारा जारी आदेश के तहत वसूल कर सकेगा।
2.	अधिकृत संवेदक निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर विज्ञापन शुल्क ही वसूली कर सकेंगे जिसमें सिनेमा हॉल, पेट्रोल पम्प शामिल होंगे। नगर निगम जयपुर द्वारा नीलामी या अन्य प्रकार से दिए गए विज्ञापन अधिकारों के विज्ञापन शुल्क की वसूली का अधिकार संवेदक को नहीं होगा।
3.	अधिकृत संवेदक निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन का जयपुर नगर निगम की विज्ञापन उपविधियों द्वारा निर्धारित दरों/शर्तों के अनुसार ही विज्ञापन शुल्क वसूल कर सकेगा। विज्ञापन शुल्क वसूली की दरें व शर्तें नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurjmc.org एवं http://Sppp.rajasthan.govt.in पर उपलब्ध रहेंगी।
4.	यह ठेका नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुरूप होगा। संवेदक को इन उपविधियों के तहत नगर निगम जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
5.	राज्य सरकार या नगर निगम जयपुर द्वारा इस संबंध में जारी संशोधित निर्देशों या संशोधित उपविधि की भी पालना संवेदक को करनी होगी। जिन विज्ञापनों पर विज्ञापन शुल्क वसूली पर वर्तमान में नीलामी से पूर्व या ठेका अवधि के दौरान न्यायालय का स्थगन आदेश है उस स्थगन आदेश की पालना संवेदक द्वारा की जावेगी। ठेका अवधि के दौरान स्थगन निरस्त होने पर संवेदक ठेका अवधि की बकाया शुल्क वसूली कर सकेंगे। सम्पूर्ण ठेका अवधि में स्थगन निरन्तर जारी रहता है तो स्थगन से प्रभावित वसूली में संवेदक का कोई क्लेम नहीं होगा एवं निविदा अवधि पश्चात् स्थगन हटने पर शुल्क निगम वसूल करेगा।
6.	प्रत्येक बोलीदाता नगर निगम जयपुर के द्वारा जोनवार निर्धारित की गई अमानत राशि अलग-अलग जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकेगा। यह राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराई जा सकती है। एक बोलीदाता एक से अधिक जोनों की नीलामी में भाग ले सकेगा। अमानता राशि निम्न तालिका अनुसार होगी:-

D:/Letter Hording/Ankit

95

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

क्र.सं.	जोन का नाम	अमानता राशि (लाखों में)
1.	मानसरोवर जोन	779900 / -
2.	सांगानेर जोन	779900 / -
3.	आमेर जोन	156200 / -
4.	हवामहल जोन पूर्व	100100 / -
5.	सिविल लाईन जोन	2343000 / -
6.	विद्याधर नगर जोन	2343000 / -
7.	मोतीझूंगरी जोन	1562000 / -
7	संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर राशि 1000 रु. के गुणक में होगी। उच्चतम दरों को स्वीकृत करने अथवा स्वीकृत नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात नगर निगम जयपुर द्वारा जारी कार्यादेश पश्चात ही संवेदक फर्म द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली आरंभ की जा सकेगी।	
8	प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि लौटा दी जावेगी। द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम निविदादाता को विज्ञापन शुल्क वसूली की अधिकृति जारी करने के पश्चात लौटाई जावेगी। उच्चतम बोलीदाता को अधिकृति पत्र सक्षम स्तर स्वीकृति पश्चात् जारी किया जावेगा।	
9	सफल बोलीदाता की अमानता राशि बतौर धरोहर राशि ठेका समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी।	
10	उच्चतम संवेदक द्वारा उच्चतम बोली राशि की 1/4 राशि जमा कराने में असफल रहने पर जमा अमानता राशि अथवा अन्य जमा राशियां जप्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय उच्चतम बोलीदाता को उसकी बोली पर गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात ठेका देने की कार्यवाही की जा सकेगी।	
11	पर्याप्त दर राशि प्राप्त नहीं होने अथवा अन्य कारणों से ठेका तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर का होगा।	
12	ठेके के लिए बोली वर्ष 2015-16 के लिए जोनवार लगाई जावेगी। वर्ष 2015-2016 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2016-17 की ठेका राशि निर्धारित होगी तथा वर्ष 2016-17 की ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2017-18 की ठेका राशि निर्धारित की जायेगी।	
13	उच्चतम बोलीदाता द्वारा अपनी उच्चतम बोली की 1/4 राशि नगर निगम जयपुर कोष में 24 घंटे में बैंकर चैक/डी डी द्वारा जमा करानी होगी। राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को राशि जमा करानी होगी।	

14	संवेदक को 3/4 राशि के बराबर की नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी बोली स्वीकृति जारी होने के 5 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी प्रस्तुत करते ही संवेदक को विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु अधिकृति (लाईसेंस) जारी कर दी जावेगी। यह 3/4 राशि की बैंक गारन्टी सम्बन्धित ठेका वर्ष की अंतिम किश्त जमा कराने के 15 दिवस बाद लौटा दी जावेगी।
15	संवेदक द्वारा स्वीकृत उच्चतम दर की शेष 3/4 राशि तीन समान किश्तों में (1/4 दि. 31.07.15 तक, 1/4 दि. 30.09.15 तक तथा 1/4 दि. 30.11.15 तक) जमा करानी होगी। उक्त अतिरिक्त जमा करायी गई बैंक गारन्टी संवेदक को वर्ष 2015-16 के लिए पूर्ण राशि जमा होने पर बैंक गारंटी वापिस कर दी जावेगी। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 हेतु 1/4 ठेका राशि ठेकेदार द्वारा 31 जनवरी 2016 से पूर्व नगद अथवा डी.डी. द्वारा जमा करवाई जावेगी तथा साथ में शेष 3/4 राशि की बैंक गारंटी भी दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा तीन समान द्विमासिक किस्तों में (1/4 दि. 31.05.2016 तक, 1/4 दि. 31.07.2016 तक तथा 1/4 दि. 30.09.2016 तक) जमा करायी जावेगी और पूर्ण राशि जमा होने पर बैंक गारंटी वापस लौटा दी जावेगी। तृतीय वर्ष 2017-18 हेतु 1/4 राशि ठेकेदार द्वारा 31 जनवरी 2017 से पूर्व नगद या डीडी द्वारा जमा करवाई जायेगी तथा साथ में शेष 3/4 राशि की बैंक गारंटी दी जायेगी। ठेकेदार द्वारा तीन समान द्विमासिक किश्तों में (1/4 दि. 31.05.2017 तक 1/4 दि. 31.07.2017 तथा 1/4 30.09.2017) जमा करायी जायेगी। सम्पूर्ण राशि जमा होने पर संवेदक की बैंक गारंटी वापस लौटा दी जावेगी।
16	संवेदक को ठेका दिया जाते समय निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन प्रदर्श पर शुल्क वसूली नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन)(संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार अधिकृत दरों पर करनी होगी परन्तु नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार को इसमें किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ऐसे परिवर्तन से इन दरों में जो वृद्धि होगी उसके बढ़े हुए अनुपात में ठेका राशि भी बढ़ाई जावेगी तथा यह बढ़ी हुई ठेका राशि पूर्व अनुमोदित ठेका राशि के अतिरिक्त नगर निगम जयपुर में संवेदक को एकमुश्त जमा करानी होगी। यदि नगर निगम जयपुर या राज्य सरकार द्वारा ये दरें घटाई जाती हैं तो ठेका राशि में अनुपातिक कमी की जावेगी।
17	संवेदक को निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पाए गए विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों को हटाने का अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापन पाए जाने पर संवेदक उनकी सूची तैयार कर प्रति पाक्षिक जोन कार्यालय एवं आयुक्त (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना शून्य होने पर भी संवेदक द्वारा प्रति पाक्षिक जोन आयुक्त एवं आयुक्त (राजस्व) को सूचना देना अनिवार्य होगी। जोन कार्यालय द्वारा उक्त सूची पर विज्ञापन बोर्डों को जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। संवेदक के अनुरोध पर संवेदक को सहयोग के लिए निगम की ओर से एक राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक एवं दो पुलिसकर्मी उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
18	जोन आयुक्त संवेदक द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही कर पालना आयुक्त (राजस्व) को आगामी सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे। जोन कार्यालय अपने स्तर से भी विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यदि जोन कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो निगम मुख्यालय की आयुक्त (सतर्कता) की टीम जिसमें एक राजस्व निरीक्षक या सहा. राजस्व निरीक्षक जोन की टीम के साथ कार्यवाही करेंगे। संबंधित जोन कार्यालय राजस्व स्टाफ द्वारा उड़न दस्तों का गठन कर विज्ञापन उपविधियों के विपरीत लगे हुए विज्ञापनों के विरुद्ध चालान करने की कार्यवाही की जावेगी। चालानों से प्राप्त आय/राशि नगर निगम जयपुर की होगी।
19	नगर निगम जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों की संवेदक द्वारा पालना की जावेगी।



 D:/Letter Hording/Ankit
 आयुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर

20	संवेदक द्वारा निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों पर किए गए विज्ञापन से संबंधित शुल्क वसूली हेतु नियमानुसार निर्धारित रसीद बुकें एवं प्रपत्र अपने खर्च पर छपवाकर नगर निगम के जोन आयुक्त से प्रमाणित करवाने होंगे। इसके उपरान्त ही रसीदों एवं प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। संवेदक को इस शर्त के प्रत्येक बार उल्लंघन पर 5000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा। ठेका समाप्ति पर खाली रसीद बुकें एवं ठेके से संबंधित समस्त रिकॉर्ड जोन आयुक्त को जमा कराना होगा। जोन आयुक्त का दायित्व होगा कि निर्धारित रसीद बुकें एवं प्रपत्र प्राप्त होने पर 3 दिवस में उन्हें प्रमाणित करें। जोन आयुक्त प्रमाणित करने हेतु राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या दोनों को अधिकृत कर सकेगा। जोन आयुक्त द्वारा प्रमाणीकरण नहीं करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जोन आयुक्त का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आयुक्त (राजस्व), राजस्व अधिकारी (होर्डिंग) को प्रमाणित करने का निर्देश दिया जा सकेगा।
21	प्रत्येक वसूली की पूरी राशि की रसीद जारी करना अनिवार्य होगा। जयपुर नगर निगम द्वारा अधिकृत दरों के अनुसार ही राशि वसूल की जा सकेगी। अन्य कोई शुल्क, पैनल्टी, सेवाकर या कोई भी राशि की नागरिकों से संवेदक द्वारा वसूल नहीं की जावेगी। संवेदक व उसके कर्मियों के प्रति नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
22	विज्ञापन कर्ताओं को कम से कम असुविधा हो संवेदक को इसका पूर्ण ध्यान रखना होगा। संवेदक के वसूली हेतु अधिकृत कार्मिकों को नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना तथा नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा। संवेदक एवं उनके अधिकृत कार्मिक शुल्क दाताओं से सौहार्द्रपूर्ण एवं सौम्य व्यवहार करेंगे। किसी भी प्रकार की अशांतिकारी एवं अशोभनीय व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। तीन से अधिक सत्य शिकायत प्राप्त होने पर संवेदक की जमा राशि जप्त कर ठेका समाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
23	संवेदक यदि चाहे तो स्वयं के खर्च पर अपने क्षेत्र में एक कार्यालय संचालित कर सकेगा जिसकी अनुमति नगर निगम जयपुर से प्राप्त करनी होगी। संवेदक वसूली हेतु स्वयं के खर्च पर अपने क्षेत्र में कैम्प भी आयोजित कर सकेगा जिसमें नगर निगम के कार्मिक आवश्यकतानुसार उपस्थित हो सकते हैं।
24	संवेदक एवं उनके अधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी भी नागरिक से अधिकृत दरों से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जोन आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जावेगी और शिकायत सही पाई जाने पर वसूल की गई अवैध वसूली की दुगुनी राशि बतौर दण्ड स्वरूप संवेदक से वसूल की जावेगी तथा अवैध वसूल की गई राशि नागरिक को संवेदक द्वारा अलग से लौटानी होगी।
25	नगर निगम जयपुर के प्रशासनिक जोन की स्थिति में अनुबंध की तिथि को निर्धारित किया गया ऐरिया नहीं बदलेगा अर्थात अनुबंध के पश्चात जोन कार्यालय का क्षेत्र परिवर्तित होने पर ठेके का क्षेत्र परिवर्तित नहीं होगा।
26	संवेदक अथवा उसके अधिकृत कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली की 3 से अधिक सत्य शिकायतें पाई जाने पर संवेदक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए संबंधित जोन आयुक्त प्रकरण तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकतम 50,000/- रु. तक पेनल्टी संवेदक से वसूल करने का निर्णय लिया जा सकेगा एवं 10 से अधिक सत्य शिकायतें पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ठेका समाप्ति की अभिषंशा की जा सकेगी।
27	संवेदक अपने अधिकार क्षेत्र में ही विज्ञापन शुल्क की वसूली करेंगे। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विज्ञापन शुल्क की अवैध विज्ञापन शुल्क वसूली करने पर, अधिकृत क्षेत्र से बाहर की गई विज्ञापन शुल्क की राशि एवं रुपये पांच हजार अतिरिक्त जमा कराने होंगे। संवेदक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
28	समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर यथा सेवाकर आदि/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन संवेदक (लाईसेंसधारी) को ही करना होगा एवं नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे किसी कर/शुल्क की वसूली संवेदक द्वारा जनता से नहीं की जावेगी।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

D:/Letter Hording/Ankit

29	संवेदक के विरुद्ध कोई भी शिकायत होने पर नागरिक द्वारा संबंधित जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व) को लिखित शिकायत मय सबूत (यदि कोई हो तो संलग्न कर) पेश करेंगे जिनकी जांच जोन आयुक्त द्वारा 7 दिवस में की जावेगी। नागरिक अपनी शिकायत नगर निगम जयपुर के हैल्प लाईन नं. 0141-2743190 पर भी कार्यालय समय दर्ज करा सकेंगे।
30	संवेदक के अधिकृत कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विज्ञापन की दरें, मुख्य मार्गों की सूची राजपत्र में प्रकाशित नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 की अधिसूचना की प्रति अपने साथ रखेंगे तथा करदाता द्वारा चाहने पर पुष्टि हेतु वसूलीकर्ता द्वारा अवलोकन करवाया जावेगा।
31	ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुनवाई का अवसर देते हुए संवेदक द्वारा जमा कराई गई ठेका राशि जप्त करते हुए संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसमें संवेदक का ठेका समाप्ति भी शामिल है। इस संबंध में नगर निगम जयपुर के अधिकृत अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे।
32	ठेके से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में आर्बिटेटर द्वारा इसका निस्तारण किया जा सकेगा। आर्बिटेटर प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग होंगे।
33	नगर निगम द्वारा स्वयं के खर्चे पर वसूली की दरों एवं अनुमादित निविदा से संबंधित उपयुक्त जन सूचनाएँ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाकर आम जनता को सूचित किया जावेगा।
34	संवेदक द्वारा संबंधित जोन कार्यालयों में सूचनाएँ एवं अधिकृत संवेदक का नाम, पता व फोन नं. अंकित करके पठनीय रूप से प्रदर्श करने होंगे।
35	जिन फर्मों/ संवेदक के विरुद्ध नगर निगम जयपुर के किसी ठेके की कोई राशि बकाया चल रही है वह/वे संवेदक बकाया राशि नगर निगम जयपुर में जमा कराने के पश्चात् ही बोली में भाग ले सकेंगे। यदि किसी प्रकरण में न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तथा वसूली के विरुद्ध स्थगन दिया गया हो तो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की बकाया राशि इस शर्त के अधीन न्यायालय के निर्णय तक बकाया नहीं मानी जावेगी। नगर निगम जयपुर में पूर्व के किसी भी प्रकार के ठेके में ठेकेदार फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया हो तो वे निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
36	संवेदक द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली के दौरान होने वाली किसी भी घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसके लिए नगर निगम जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा। मौके पर किसी भी विवाद/झगडा होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कानूनी कार्यवाही संवेदक द्वारा ही की जावेगी।
37	वालपेटिंग/विज्ञापन को पुताई करके मिटाने का अधिकार संवेदक का होगा। इस कार्य के लिए संवेदक को कोई भुगतान नगर निगम जयपुर द्वारा देय नहीं होगा। समस्त खर्चा संवेदक को वहन करना होगा।
38	शहर में त्यौहार/समारोह पर होने वाली सजावट के लिए किए जाने वाले विज्ञापन प्रदर्श को शुल्क वसूली से मुक्त रखने बाबत् नगर निगम जयपुर/राज्य सरकार के निर्देशों की पालना संवेदक को करनी होगी।
39	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय श्रवणाधिकार केवल जयपुर शहर ही होगा।
40	संवेदक द्वारा यदि विज्ञापन बोर्डों का विज्ञापन शुल्क राशि जमा करवाने हेतु सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को "बिल" प्रेषित किया जाता है व सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा संवेदक को राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो सम्बन्धित संवेदक द्वारा सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति से कुर्की कार्यवाही से विज्ञापन शुल्क वसूली का लिखित आवेदन पत्र मय सम्बन्धित बोर्ड का विवरण मय फोटोज एवं तामिल हुए बिल की प्रति संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित जोन आयुक्त द्वारा उपयुक्तता की जांच करवाये जाने के बाद, नियमानुसार बिल, मांगपत्र जारी किये जाने के बाद कुर्की के आदेश दिये जायेंगे।


 लाईसेंस ऑथोरिटी एवं
 आयुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर